



Government of India
Ministry of Youth Affairs and Sports



भारतीय खेल प्राधिकरण

फिट इंडिया मिशन

जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम
रैंप नंबर 5
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
ईमेल: contact@fitindia.gov.in


F. No. 9-26/SAI/FIT INDIA/2022

Dated: 04/10/2023

परिपत्र

विषय: फिट इंडिया क्विज़ 2023 की पंजीकरण तिथियों का विस्तार

1. फिट इंडिया क्विज़ 2023 पर डी.ओ. नंबर 19-2/फिट इंडिया/क्विज़/2023 दिनांक 01.09.2023 और डी.ओ. नंबर 15-1/2023-आईएस-4 दिनांक 05.09.2023 का सन्दर्भ लेते हुए सूचित किया जाता है कि फिट इंडिया क्विज़ 2023 के लिए स्कूल द्वारा पंजीकरण करने की अंतिम तिथि 31.10.2023 तक बढ़ा दी गई है, ताकि अधिक से अधिक संख्या में स्कूल और छात्र फिट इंडिया क्विज़ में भाग लेने के लिए पंजीकरण कर सकें।
2. स्कूल <https://fitindia.nta.ac.in> पर स्वयं पंजीकरण करेंगे। ध्यातव्य है कि विद्यार्थियों के पंजीकरण की कोई अधिकतम संख्या की सीमा नहीं है। लेकिन, हर विद्यालय को कम से कम 2 छात्रों को नामांकित करना होगा। अतः विद्यालयों से अपेक्षा की जाती है कि वे फिट इंडिया क्विज़ 2023 में भाग लेने के इच्छुक अधिक से अधिक छात्रों को नामांकित करने के लिए प्रेरित करें। पंजीकरण तभी पूरा माना जाएगा जब विद्यालय ने छात्रों को नामांकित किया हो और प्रति छात्र 100 रुपये की आवश्यक फीस का भुगतान किया हो। स्कूल अपने रिकॉर्ड के लिए पंजीकरण पूरा करने के बाद भुगतान प्रमाण और पुष्टिकरण पृष्ठ की एक प्रति रखेंगे।
3. प्रारंभिक दौर की परीक्षा की तारीखों की सूचना पंजीकृत स्कूलों एवं विद्यार्थियों को सीधे उनके ईमेल पर भेज दी जाएगी। पुनः, यह जानकारी फिट इंडिया वेबसाइट (<https://fitindia.gov.in/>) और फिट इंडिया क्विज़ 2023 एनटीए पोर्टल (<https://fitindia.nta.ac.in/>) पर भी उपलब्ध कराई जाएंगी।


(एकता विशनोई)

मिशन निदेशक, फिट इंडिया

को:

राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के स्कूल शिक्षा विभाग के प्रभारी प्रधान सचिव/सचिव

कॉपी में:

1. संयुक्त सचिव. डी/ओ स्कूल शिक्षा और साक्षरता, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार
2. अध्यक्ष, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई)
3. आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस)
4. आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस)
5. अध्यक्ष, काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (सीआईएससीई)
6. राज्यो/केंद्रशासित प्रदेशों के राज्य स्कूल शिक्षा बोर्डों के प्रभारी निदेशक

जानकारी के लिए:

1. सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के वरिष्ठ पीपीएस
2. सचिव, खेल विभाग, युवा मामले और खेल मंत्रालय, भारत सरकार के वरिष्ठ पीपीएस